कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145–2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf ajmer forest@rajasthan gov in

क्रमांकः–एफ14( )एफसीए / उवसं / 2021–22 /543 दिनांक :– 31/01/22

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय :- Diversion of land 0.87ha. of forest land for Construction of B.T.Road from Majewala to Pachmata Proposal no FP/RJ/ROAD/33196/2018.

संदर्भ – कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के द्वारा लगाय गये ऑनलाईन ईडीएस पत्रांक 92 दिनांक 25.01.2022 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रकरण Diversion of land 0.87ha. of forest land for Construction of B.T.Road from Majewala to Pachmata Proposal no FP/RJ/ROAD/33196/2018 Forest land Diversion proposal under forest (Conservation) Act, 1980. मे उच्च कार्यालय द्वारा संदर्भित ऑनलाईन ईडीएस के माध्यम से आक्षेप लगाया गया है जो निम्नानुसार है:–

1. Nodal Office, Jaipur raise the issue that- Gravel road is already constructed in the area. When was this road constructed . If FCA sanction is received for this then attach and upload it. Plz reply the EDS.

इस क्रम मे प्रस्तावित क्षेत्र मे ग्रेवल रोड़ निर्मित नही है वरन् कच्चा रोड बना हुआ है जो वर्ष 1980 से पूर्व का है अतः तत्समय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति अपेक्षित नही थी।

वर्तमान मे आवेदित प्रस्तावित सड़क का कार्य करने हेतु 0.87 हैक्टर वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव इस कार्यालय मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये, जिसके क्रम मे भाग–2 की पूर्ति कर प्रस्तावित प्रकरण अभिशंषा सहित उच्च कार्यालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेक्षित किया गया था। प्रकरण मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन नही किया गया है।

रिपोर्ट श्रीमान् को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(सुनील चिद्री)
उप वन सरंक्षक
अजमेर

क्रमांक :– सम / दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, अरण्य भवन, राजस्थान जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, पुष्कर को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण मे सक्षम स्तर की स्वीकृति के बिना सड़क का निमार्ण करने संबंधित किसी भी प्रकार से गैर वानिकी कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ना किया जावे यह सुनिश्चित करे।

उप वन सरंक्षक
अजमेर